

बंशी दास/प्रधर


## आदेश


4-1-18

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा दाखिल-खारीज वाद सं-687(v)/2009-10 में पारित आदेश दिनांक-05.08.2009 के विरुद्ध आवेदक बंशी दास पिता-स्व0 लाटो दास ग्राम-चिगलाबर थाना-कोडरमा जिला-कोडरमा के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्ष दिनांक-21.09.2012 से लगातार अनुपस्थित है। आवेदक द्वारा भी कोई पैरवी नहीं किया जा रहा है। इससे प्रतित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक को अभिरुची नहीं रह गई है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

  
04/01/18  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
कोडरमा।

  
04/01/18  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
कोडरमा।